FAQ

प्रश्न : ऑनलाइन आवेदन भरने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : एप्लिकेशन चार स्टेप में भरी जाती है जिसमें :–

प्रथम : प्रॉपट्री से सम्बन्धित जानकारी,
द्वितीय : किस्तों की जानकारी,
तृतीय : भुगतान एवं किस्तों के अतिरिक्त की गई मॉग की जानकारी,
चतुर्थः प्रोसेसिंग फीस तथा डाउन पेमेंट की धनराशि का ऑनलाइन भुगतान।

उपरोक्त के पश्चात आवेदन को चैकर द्वारा चेक किया जायेगा तत्पश्चात एप्रूवर को एप्रूवल हेतु चौकर द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है तत्पश्चात एप्रूवर द्वारा एप्रूव किया जायेगा।
जिसके उपरान्त ओ.टी.एस. लेटर जनरेट हो जायेगा। जिसे आवेदन कर्ता द्वारा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रश्न : डाटा की फीडिंग के बाद त्रुटि सुधार करने के लिए क्या विकल्प है ?

उत्तर : डाटा एंट्री करने के बाद भुगतान से पूर्व आवेदन को देखा जा सकता है तथा कोई भी त्रुटी सुधार, आवेदक / मेकर द्वारा किया जा सकता है तथा भुगतान के उपरान्त चौकर व एप्रूवर द्वारा मॉडिफाई बटन से त्रुटी सुधार किया जा सकता है।

प्रश्न : डाटा एण्ट्री के समय डाटा प्रत्येक स्टेप पर कैसे सेव होता है ?

उत्तर : प्रत्येक पेज पर Proceed Button दिया गया है जिसे दबाते ही डेटा सेव होने के पश्चात अगले स्टेप पर जाता है।

प्रश्न : डाउन पेमेंट / प्रोसेसिंग फीस की राशि स्वतः आ रही है।

उत्तर : डाउन पेमेंट व प्रोसेसिंग फीस की धनराशि शासन द्वारा निर्धारित है, जिसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए शासन द्वारा प्रेषित जी०ओ० को पढ़े जो कि इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न : डाटा फीडिंग के बाद आवेदन अप्रूव कैसे होता है?

उत्तर : डाटा फीडिंग के बाद फाइल चैकर (Checker) को भेजी जाती है तथा चैकर द्वारा आवेदन चैक करने के उपरान्त एप्रूवर (Approver) को भेजी जाती है। इसके उपरान्त एप्रूवर के पास एप्रूव का ऑप्शन आता है तथा एप्रूवर आवेदन को एप्रूव कर ओ.टी.एस. (OTS) लेटर जनरेट करता है।

प्रश्न : मूलधन (प्रिंसीपल) के कॉलम में क्या भरें?

उत्तर : मूलधन के कॉलम में वह धनराशि लिखी जानी है जिसके ऊपर किस्तों (Installments) की गणना की गयी है।

प्रश्न : साधारण ब्याज (सिम्पल इंटरेस्ट) के कॉलम में क्या भरें?

उत्तर : साधारण ब्याज के कॉलम में वह ब्याज दर लिखी जानी है जिस ब्याज दर से किस्तों की गणना की गयी है।

प्रश्न : आवेदन का पेमेंट कब होना है ?

उत्तर : ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन पूर्ण भरने के उपरान्त पेमेंट कराना होगा जिसके फलस्वरूप आवेदन आगे प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् के पास चला जायेगा।ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् के स्टाफ द्वारा भरा जायेगा तथा आवेदन के साथ ही फीस की धनराशि प्राप्त कर रसीद जारी की जायेगी।

प्रश्न : ऑफलाइन आवेदन के लिए कोई फॉर्म की व्यवस्था है?

उत्तर : पोर्टल पर डाउनलोड के ऑप्शन के अंतर्गत एक ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है, जिसे आवेदक द्वारा भरकर प्राधिकरण / आवास विकास परिषद में जमा किया जा सकता है।

प्रश्न : प्राधिकरण द्वारा मूलधन की धनराशि कैसे सही की जाये?

उत्तर : सर्वप्रथम आवेदन को खोलें तथा यह ज्ञात करें की आवेदन किसके पास है। आवेदन जिसके पास है वह व्यक्ति सेन्ड बटन के बगल से मोडिफाई बटन द्वारा त्रुटि सुधार कर सकता है। परन्तु यह ज्ञात रहे कि मूलधन की राशि में परिवर्तन करने पर उसका प्रभाव किस्तों पर होगा जिसक फलस्वरूप किस्तों को दोबारा जनरेट करना होगा।

प्रश्न : क्या रजिस्ट्रेशन आबंटन, कब्जा आदि की डिमांड को किस्तों की डिमांड के साथ फीड किया जा सकता है?

उत्तर : नहीं। रजिस्ट्रेशन मनी आदि को ष्ज्ीमत जींद "Other than installment" वाली ऑप्शन में फीड करना है।

प्रश्न : ओ0 टी0 एस0 की राशि ऋणात्मक (–) आ रही है।

उत्तर : यदि ओण्टीण्एसण् की राशि ऋणात्मक (–) आ रही है तो निम्न बिन्दुओं को जाँचें :–

- दर्ज की गई मूलधन की राशि की जाँच कर लें। यदि मूलधन की राशि गलत डाली गयी होगी तो किस्तें गलत बनेंगी व ओ0 टी0 एस0 की गणना गलत दर्ज की गयी जानकारी के अनुसार होगी।

- यदि मूलधन की राशि सही है तो भरे गये भुगतानों की जाँच करें। ज्यादा भुगतान होने से ओ0 टी0 एस0 की गणना ऋणात्मक (–) आ सकती है।

- जॉचें क्या किस्तें सही चढ़ायी गयी हैं। किस्तें पूर्ण न होने के कारण भी ओ0 टी0 एस0 की गणना ऋणात्मक (–) आ सकती है।

संक्षेप समाधानः मूलधन की राशि सही प्रकार से जॉच कर ही डालें यदि सॉफ्टवेयर में गलत जानकारी डाली जायेगी तो सॉफ्टवेयर द्वारा भी गलत जानकारी ही प्रदर्शित होगी यदि जाँच के उपरान्त भी ओ.टी. एस. ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि ओ.टी.एस. में एडवांस जमा है।

प्रश्न : नोडल अधिकारी क्या है नोडल अधिकारी बनाने से क्या होगा ?

उत्तर : प्राधिकरण में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का मतलब है कि वह सभी आने वाले आवेदनों को सर्वप्रथम देखेगा तथा आवेदन को सम्बन्धित को ऑनलाइन प्रेषित करेगा।

प्रश्न : नीलामी के प्रकरणों में कैश डाउन भुगतान पद्धति पर आवंटित प्रकरण में डिमाण्ड कहॉ पर दर्ज की जाये तथा मूलधन क्या दर्ज किया जाये ?

उत्तर : ऐसे प्रकरणों में मूलधन शून्य डाला जाये तथा डिमाण्ड को "Demand other than Installments" के अन्तर्गत डाला जाये। इनको "Equal Installment" अथवा "Unequal Installment" में कदापि न दर्ज किया जाये।

प्रश्न : यदि निर्धारित किस्तों के स्थान पर भुगतान एकमुश्त में किया जाता है, तो एकमुश्त धनराशि को दर्ज करने तथा मूलधन को दर्शाने की सही प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर : किस्तों के स्थान पर एकमुश्त भुगतान की दशा में एक मुश्त धनराशि डिमांड मे दर्ज किया जाये व मूलधन शून्य डाला जाये।

`